20रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

विज्ञापित

(82)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

R-1875-III/14

देवव्रत राय तनय श्री एल. एन. राय आयु 33 वर्ष निवासी कुंवरपुरा रोड चर्च के पीछे टीकमगढ तह. व जिला टीकमगढ म.प्र. — रिवीजनकर्ता

श्री देवव्रत राय, स्वयं द्वारा आज दि 25-6-14 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 25-6-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

(1) ज्ञानेन्द्र जैन आत्मज रूप चन्द्र जैन निवासी ग्राम डबरा जिला ग्वालियर म.प्र. हाल निवासी पपौरा चौराह टीकमगढ थाना तहसील व जिला टीकमगढ म.प्र.
(2) शासन मध्यप्रदेश — उत्तरवादी

रिवीजन प्रतिकूल आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल टीकमगढ के आदेश दिनांक 05/02/2014 जिनके द्वारा भूमि खसरा नंबर 681/2, 683/2/2 मौजा स्थित कुंवरपुरा जिला टीकमगढ म.प्र. का सीमांकन म.प्र.भू राजस्व संहिता की धारा 129 के आधार पर सीमांकन के समय रिवीजनकर्ता की भूमि खसरा नंबर 682/2/1 रकबा 0.002 हे. पर अवैध कब्जा बताया गया है जिसके आधार पर तहसीलदार टीकमगढ द्वारा रिवीजनकर्ता के मकान मे 0.002 हेक्टेयर पर अनाधिकृत कब्जा मानते हुये स्थगन आदेश जारी किया गया है -

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

महोदय,

रिवीजन के आधार निम्न प्रकार है :-

(1) यह कि राजस्व निरीक्षक मण्डल टीकमगढ द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 के तहत विधिवत कार्यवाही नहीं की गई है जिससे प्राथमिक रूप से कानूनी खामी दृष्टिगोचर होती है।

(2) यह कि राजस्व निरीक्षक मण्डल तहसील टीकमगढ के प्रकरण क्रमांक- 5/अ-12/2013-14 ग्राम कुंवरपुरा पटवारी हल्का नंबर 19 तहसील टीकमगढ

शाखा प्रभारी ... कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1875-तीन/2014 जिला टीकमगढ़ देववृत्त विरूद्ध ज्ञानेन्द्र व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 05/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 05-02-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 6. उभय पक्ष अभिभाषकों को नोट कराया जाये । 11/02/2019 (आर.के. जैन) सदस्य	